न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुखराम खोखर
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
54 / 2018 / प्रा.पत्र / 2018	09.10.2018	24.12.2020

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–खाद्य कारोबारकर्ता श्री मनोज कुमार पाटीदार पुत्र श्री दशरथ लाल कुर्मी जाति कुर्मी निवासी हुड्डा के बालाजी के पास टोड़ारायसिंह जिला टोंक मैसर्स मनोज डिपार्टमेन्टल स्टोर चुंगी नाका जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक
2–मैसर्स मनोज डिपार्टमेन्टल स्टोर चुंगी नाका जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक
3–श्री चॉदमल अग्रवाल प्रोपरायटर मैसर्स चॉदमल जैन सदर बाजार केकडी जिला अजमेर राज.
4– मैसर्स चॉदमल जैन सदर बाजार केकडी जिला अजमेर राज.
5–श्री ललित कुमार हुण्डिया निवासी 50 केशव पथ सूरज नगर पश्चिम सिविल लाईन जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स मरूधर सेल्स कॉरपोरेशन ए–77, राजधानी मण्डीयार्ड, सीकर रोड़ जयपुर राज.
6– मैसर्स मरूधर सेल्स कॉरपोरेशन ए–77, राजधानी मण्डीयार्ड, सीकर रोड़ जयपुर राज.
7–श्री युवराज सिंह बिश्त नॉमिनी मैसर्स पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड डी–232–233, 4 फलोर, अंटलाटिस टॉवर, आम्रपाली रोड़, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर
8– मैसर्स पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड डी–232–233, 4 फलोर, अंटलाटिस टॉवर, आम्रपाली रोड़, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर
9–श्री विनोद कुमार थोलिया निवासी 155, जय जवान कॉलोनी –II, टोंक रोड जयपुर पार्टनर मैसर्स विनायक इण्डस्ट्रीज खसरा नं0 1080 / 1, रोड़ नं. 9, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बिन्दायका, जयपुर राज. / रजि. ऑफिस 44 नेमी नगर, वैशाली नगर के पास, जयपुर राज.
10– श्री स्वाती मारू निवासी 44 नेमी नगर, वैशाली नगर के पास, जयपुर पार्टनर मैसर्स विनायक इण्डस्ट्रीज खसरा नं0 1080 / 1, रोड़ नं. 9, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बिन्दायका, जयपुर राज. / रजि. ऑफिस 44 नेमी नगर, वैशाली नगर के पास, जयपुर राज.
11– मैसर्स विनायक इण्डस्ट्रीज खसरा नं0 1080 / 1, रोड़ नं. 9, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बिन्दायका, जयपुर राज. / रजि. ऑफिस 44 नेमी नगर, वैशाली नगर के पास, जयपुर राज.

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 54 सपठित धारा 49)

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

1164

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–श्री सीयाराम शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ता.8 व शेष अप्रार्थीगण उपस्थित

दिनांक 24.12.2020

:–**निर्णय**–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.06.2018 को समय 4.00 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मनोज डिपार्टमेन्टल स्टोर चुंगी नाका जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक पर पहुंचां। प्रोपरायटर की हैसियत से श्री मनोज कुमार पाटीदार पुत्र श्री दशरथ लाल कुर्मी जाति कुर्मी निवासी हुड़डा के बालाजी के पास टोड़ारायसिंह जिला टोंक मैसर्स मनोज डिपार्टमेन्टल स्टोर चुंगी नाका जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **घी (पायस ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर वी 0315 एंव पैकिग की दिनांक 15 मार्च 2018 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री मनोज कुमार पाटीदार को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता मनोज कुमार पाटीदार एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 500 ग्राम पैक के लगभग 30 पैकेट पैक्ड अवस्था मे **घी (पायस ब्राण्ड)** रखे हुये मे से 500 ग्राम के 4 पैकेट वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री मनोज कुमार पाटीदार को रू0 640/–अक्षरे छः सौ चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **घी (पायस ब्राण्ड)** 4 पैकेट प्रत्येक 500 ग्राम पैक को 1–1 पैकेट के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1936 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं.I–1936 [illegible] चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भा[illegible] से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. मनोज कुमार पाटीदा[illegible] हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:03 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक 1165

Scanned by CamScanner

करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री मनोज कुमार पाटीदार ने मौके पर **घी (पायस ब्राण्ड)** बतोर वारन्टी मैसर्स चॉदमल जैन सदर बाजार केकडी जिला अजमेर राज.का बिल/इन्वॉइस नं. 758 दिनांक 23.06.2018 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स चॉदमल जैन सदर बाजार केकडी जिला अजमेर राज. से आवश्यक दस्तावेज चाहे जाने पर उसने बतोर वारन्टी मैसर्स मरूधर सेल्स कॉरपोरेशन ए–77, राजधानी मण्डीयार्ड, सीकर रोड़ जयपुर राज. का बिल/इन्वॉइस नं. 303 दिनांक 04.05.2018 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स मरूधर सेल्स कॉरपोरेशन ए–77, राजधानी मण्डीयार्ड, सीकर रोड़ जयपुर राज. से आवश्यक दस्तावेज चाहे जाने पर उसने बतोर वारन्टी मैसर्स पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड डी–232–233, 4 फलोर, अंटलाटिस टॉवर, आम्रपाली रोड़, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर का बिल/इन्वॉइस नं. 98004629 दिनांक 03.05.2018 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड डी–232–233, 4 फलोर, अंटलाटिस टॉवर, आम्रपाली रोड़, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर से आवश्यक दस्तावेज चाहे जाने पर उसने बतोर वारन्टी मैसर्स विनायक इण्डस्ट्रीज 44 नेमी नगर, वैशाली नगर के पास, जयपुर राज. बिल/इन्वॉइस नं. 78/2017–18 दिनांक 31.03.2018 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स विनायक इण्डस्ट्रीज 44 नेमी नगर, वैशाली नगर के पास, जयपुर राज. से आवश्यक दस्तावेज चाहे जाने पर प्रतिउत्तर मे उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र व पार्टनरशिप डीड एंव जीएसटी रजि0 प्रस्तुत किया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2018/1901 दिनांक 12.07.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषकखाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/334/एक्ट/2018/340 दिनांक 04.07.2018 अनुसार मनोज कुमार पाटीदार से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **घी (पायस ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) अनुसार **बाह्य अपद्रव्य** (Extraneous Matter) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **बाह्य अपद्रव्य** (Extraneous Matter) स्तर का **घी (पायस ब्राण्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 (सपठित धारा 49) में निर्धारित है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण एंव अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अप्रार्थी संख्या 8 व 11 ने अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी (पायस ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **बाह्य अपद्रव्य** (Extraneous Matter) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी (पायस ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **बाह्य अपद्रव्य** (Extraneous Matter) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री मैसर्स पायस मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड डी–232–233, 4 फलोर, अंटलाटिस टॉवर, आम्रपाली रोड़, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर पर शास्ति 30,000 (अक्षरे तीस हजार रू0) अप्रार्थी श्री मैसर्स विनायक इण्डस्ट्रीज खसरा नं0 1080/1, रोड़ नं. 9, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बिन्दायका, जयपुर राज. / रजि. ऑफिस 44 नेमी नगर, वैशाली नगर के पास, जयपुर राज.पर शास्ति 40,000 (अक्षरे चालीस हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 24.12.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:29:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner